

## राजकीय विद्यालयों के पूर्व छात्र-छात्रा और दानदाता सम्मेलन 2022-23 आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश

### 1. प्रस्तावना-

राजस्थान में दान देने की प्रथा काफी पुरानी है। राजस्थानियों ने राजस्थान के बाहर बसने के बाद भी यहां के विद्यालयों को तन-मन-धन से सहयोग कर शिक्षा की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान किया है। बहुत से भामाशाहों ने विद्यालय भवन तक का निर्माण कर सरकार को समर्पित किया है। यह कार्य अभी जारी है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों और दानदाताओं को एक साथ लाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कंपनियों, ट्रस्टों और व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान संकल्प पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल का लक्ष्य दानदाताओं/कम्पनियों को विकल्प उपलब्ध करवाकर दान की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

राजस्थान के राजकीय विद्यालयों से अध्ययनरत रहे अनेकों पूर्व छात्र-छात्राओं ने विश्व/भारत में अपने-अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इन पूर्व छात्र-छात्राओं को अपने विद्यालयों से जोड़ने, राजकीय विद्यालयों की प्रगति एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किये जा रहे नवाचारों को आमजन तक पहुंचा कर राजकीय विद्यालय के विकास में सहभागी बनाने के उद्देश्य से पूर्व विद्यार्थी और व्यक्तिगत भामाशाहों सहित सीएसआर के अन्तर्गत कार्य करने वाली औद्योगिक संस्थानों एवं एनजीओ को विद्यालयों के समग्र विकास में सहभागी बनाने हेतु सम्मेलन आयोजन की परिकल्पना की गई है। यह सम्मेलन राजकीय विद्यालयों के पूर्व छात्र-छात्राओं, भामाशाहों, सीएसआर के अन्तर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं को विद्यालय विकास में सहभागी बनने के लिए एक भव्य प्रदान करेगा जिससे राजकीय विद्यालयों में संस्था प्रधान उनके समक्ष विद्यालयों की उपलब्धि एवं आवश्यकताओं को रखकर उनके व आमजन से सहयोग प्राप्त कर संसाधनों की पूर्ति कर सकें तथा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें।

### 2. सम्मेलन हेतु स्वीकृत बजट-

- राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पूर्व छात्र-छात्राओं और दानदाता सम्मेलन आयोजन हेतु समय शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2022-23 में नवाचार (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) मद के अन्तर्गत 15360 विद्यालय (यू-डाईस 2020-21 के आधार पर शून्य नामांकन को छोड़कर) के लिए रुपये 1000/- (अक्षर-एक हजार रुपये मात्र) प्रति विद्यालय की दर से 153.60 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। जिले वार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या व अधिकतम आवंटित राशि का विवरण अनुसूची-1 में संलग्न है।
- राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग व समाज कल्याण विभाग के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल किये गये हैं। विभागवार जिले वार विवरण अनुसूची-2 में संलग्न है।
- उक्त आयोजन हेतु परिषद् स्तर से उपलब्ध करवाई गई उक्त राशि के अतिरिक्त जनसहयोग भामाशाहों, दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाये जाने का प्रयास किया जाये।

69



क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन-2022-23/ 3387

दिनांक 21/07/2022

3. राज्य के समस्त विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन के सफल आयोजन एवं उक्त राशि के व्यय हेतु दिशा-निर्देश

❖ आयोजन स्थल, आयोजन दिवस एवं भाग लेने वाले विद्यालय।

विद्यालयों में पूर्व छात्र-छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन समग्र शिक्षा के अन्तर्गत आयोज्य वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के दिन, वार्षिकोत्सव कार्यक्रम से पूर्व आयोजित किये जाएंगे।

❖ जिला, ब्लॉक व आयोजन विद्यालय स्तर समिति का गठन व कार्य -

• पूर्व छात्र-छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन हेतु राज्य स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2022-23 के आयोजन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश क्रमांक रास्कूलशिप/ जय/ आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय/ वार्षिकोत्सव/ 2022-23/ 2885 दिनांक 08-07-2022 द्वारा निर्धारित जिला, ब्लॉक व संकुल स्तरीय आयोजन समिति ही पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन हेतु भी जिला, ब्लॉक संकुल स्तरीय एवं विद्यालय आयोजन समिति के रूप में कार्य करेगी तथा पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन सफल आयोजन हेतु समस्त उत्तरदायी होगी। उक्त आदेशों में पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन के कम में वर्णित समस्त दिशा-निर्देश लागू होंगे।

• विद्यालय स्तर पर पूर्व छात्र-छात्रा एवं सभावित दानदाता सम्मेलन आयोजन हेतु जो समिति वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बनाई गई है, वो ही आयोजन के सम्पूर्ण दायित्व का निर्वहन करेगी।

• यदि किसी विद्यालय जिसमें पूर्व छात्र-छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन आयोजित किया जाना है परन्तु वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित नहीं किये जाएंगे वही पर भी वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2022-23 हेतु जारी उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार समिति का गठन कर पूर्व छात्र-छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे।

❖ जिला समिति के कार्य-

• सत्र 2022-23 में पूर्व छात्र-छात्रा व दानदाता सम्मेलन को उभयनिष्ठ रूप से वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2022-23 के साथ उसी दिन आयोजित किया जावेगा। इस हेतु दोनों समारोह को अलग-अलग मानते हुए समेकित कार्ययोजना निर्माण कर एक ही दिवस में आयोजित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस ब्लॉक/संकुल कार्यालय व संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित कर अनुपालना सुनिश्चित करायेंगे।

• समारोह के आयोजन हेतु जिला स्तर पर निर्मित विस्तृत कार्ययोजना को समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ साझा करेंगे।

• समारोह आयोजन हेतु निर्धारित राशि परिषद् स्तर से जिले को एराएनए के अन्तर्गत प्रेषित की जावेगी और जिला स्तर से निर्धारित समय में सम्बन्धित आयोजक विद्यालय को उपयोग हेतु जीरो बैलेन्स सॉफ्टवेयर खाते में उपलब्ध करवाई जाना सुनिश्चित करेंगे।

• कार्ययोजना निर्माण करते समय अधिकाधिक जनसहभागिता को प्रमुखता प्रदान करेंगे।

• समारोह में राज्य स्तर, जिला स्तर व ब्लॉक स्तर के जन प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों, दानदाताओं, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर हेड को आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

• राज्य स्तर से समारोह हेतु जारी राशि के अतिरिक्त राशि एकत्रीकरण हेतु जिला/ब्लॉक के सीएसआर फर्म, भामाशाह, उद्योगपति, दानदाता, जनप्रतिनिधि, विद्यालयों के सफल पूर्व छात्र-छात्राओं एवं ऐसे सभावित व्यक्तित्व जो कार्यक्रम के आयोजन हेतु राशि उपलब्ध कर सकते हैं, की सूची मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी/आयोजक विद्यालय के साथ साझा की जाये।



क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / सीएसआर / प्लॉन 2022-23 / 3387

दिनांक 21/07/22

- समारोह में संस्था प्रबन्धन एवं विद्यार्थियों को सम्बलन प्रदान करने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को नियुक्त किया जावे। प्रयास रहे कि अधिकतम समारोहों में कोई प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित रह सके। इस हेतु संयुक्त निर्देशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि एवं भाशि), प्रधानाचार्य-डाइट, एबीपीसी कार्यालय के समस्त अधिकारियों को शामिल किया जावे।
- जिला स्तरीय कमेटी वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ-साथ पूर्व छात्र-छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन आयोजन के समस्त उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगी।
- समारोह से पूर्व जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त दिशा-निर्देश प्रदान किये जावेंगे।
- जिला कार्यालय अपने जिले में आयोजित पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2022-23 आयोजन की समेकित रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण-पत्र व छाया चित्र जिले में अंतिम समारोह के आयोजन के उपरान्त 05 दिवस में राज्य कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगी।
- जिला कार्यालय व्यवस्थापक राशि की प्रविष्टि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मन्त्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित प्रबन्ध पोर्टल पर अनिवार्यतः अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करेगी।

#### ❖ ब्लॉक समिति के कार्य-

- वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हेतु गठित उक्त ब्लॉक स्तरीय कमेटी वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ-साथ सीएसआर अनुभाग द्वारा पूर्व छात्र-छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन आयोजन के समस्त उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगी।
- ब्लॉक स्तरीय कमेटी अपने अधीनस्थ क्षेत्र के विद्यालयों में आयोजित पूर्व छात्र एवं दानदाता सम्मेलन एवं वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन को एक दिन आयोजित करने हेतु समेकित कार्ययोजना निर्माण करने एवं कार्य रूप में परिणित करने के लिये उत्तरदायी होगी।
- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हेतु ब्लॉक स्तर पर निर्मित विस्तृत कार्ययोजना को समस्त शहरी क्षेत्र के आयोजक विद्यालय एवं समस्त पीईईओ के साथ साझा करेगी।
- कार्ययोजना निर्माण करते समय अधिकाधिक जनसहभागिता को प्रमुखता प्रदान करेगी।
- समारोह में राज्य स्तर, जिला स्तर व ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों, भामाशाही, दानदाताओं, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर हेड को आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- राज्य स्तर से समारोह हेतु जारी राशि के अतिरिक्त राशि संग्रहण हेतु जिला/ब्लॉक के सीएसआर फर्म, भामाशाह, उद्योगपति, दानदाता, जनप्रतिनिधि विद्यालयों के सफल पूर्व छात्र एवं ऐसे संभावित व्यक्तित्व जो कार्यक्रम के आयोजन हेतु राशि उपलब्ध करा सकते हैं, की सूची आयोजन विद्यालय संस्था प्रधान/स्कूल अधिकारी के साथ साझा की जावे।
- समारोह में सम्बलन प्रदान करने हेतु ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की सूची तैयार की जावे। विद्यालयों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ - साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी सम्बलन हेतु उपस्थित हों, यह सुनिश्चित किया जावे।
- राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों अधिकारियों, भामाशाहों दानदाताओं को विनित कर विद्यालयों में आमंत्रित करने हेतु सम्पर्क कर उत्तरी सूची पदन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करावे, जिससे पीईईओ उनसे सम्बन्ध कर उनके कार्यक्रम हेतु आमंत्रित कर सके।

67



क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन 2022-23/3387

दिनांक 21/07/2022

- समारोह से पूर्व ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कलस्टर संकुल प्रभारी, विद्यालय संस्था प्रधान की बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त दिशा-निर्देश प्रदान किये जावें।
- ब्लॉक में कलस्टर संकुल स्तरीय आयोजन समिति के गठन की सूचना सहित आयोजन हेतु अलग-अलग दिवस निर्धारित कर आयोजन की दिनांकवार सूची निर्धारित समयवधि में अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेगे।
- ब्लॉक स्तरीय आयोजन समिति ब्लॉक में आयोजित पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2022-23 आयोजन की समेकित रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण-पत्र व छाया चित्र, ब्लॉक में आयोजित अंतिम समारोह के आयोजन 7 दिवस में जिला कार्यालय को मिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

### ❖ कलस्टर (सीआरसी) स्तरीय समिति के कार्य-

- पूर्व उल्लेखित वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह के आदेशों अनुसार कलस्टर आयोजन समिति वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह के साथ-साथ पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2022-23 आयोजन हेतु राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर प्राप्त समस्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी।
- समारोह के आयोजन व स्थान का चयन वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह 2022-23 हेतु जारी आदेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जावे।
- पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2022-23 आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक तैयारियां समय पूर्व वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन तैयारियों के साथ-साथ सम्पन्न कर ली जावें।
- उक्त आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई उक्त शिप के अतिरिक्त संस्था प्रधान एवं स्टाफ जनसहयोग, भामाशाहों, दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।
- पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2022-23 हेतु विस्तृत कार्ययोजना का निर्माण कर सम्बन्धित संस्था प्रधान को मार्गदर्शन प्रधान कर कार्य रूप में परिमित करवायेगे।
- समारोह में राज्य स्तर, जिला स्तर व ब्लॉक स्तर के जन प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों भामाशाहों, दानदाताओं, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर हेड को आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- समारोह में राज्य सरकार के कोविड दिशा-निर्देश की अक्षरशः पालना करते हुए आयोजित किया जाना सुनिश्चित करवायेगे।
- पंचायत एवं सीआरसी स्तरीय समिति आयोजित पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन के 02-05 छवि चित्र (फोटोग्राफ), आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के भेजे जाने वाले छाया चित्रों के साथ-साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को मिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

### ❖ विद्यालय स्तरीय समिति के कार्य-

- पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2022-23 के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु समस्त व्यवस्थाओं का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित सीपीईओ/ पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजक विद्यालय संस्था प्रधान का रहेगा।
- उक्त समारोह के स्थानीय आयोजन की तिथि निर्धारण से पूर्व यथासंभव स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया जाना सुनिश्चित करें ताकि अधिकाधिक भागीदारी हो सके।
- पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन में अधिकाधिक जनसहभागिता हेतु प्रयास किये जावे। इस हेतु विद्यालय संस्था प्रधान/ पीईईओ विद्यालय स्टाफ के सहयोग से विद्यालय के समस्त परिक्षेत्र में जनसंपर्क स्थापित करें।



क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीएसआर/ऑन 2022-23/ 3387

दिनांक 21/07/22

- विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी/एसएमसी की बैठक के दौरान उक्त समारोह के सफल आयोजन हेतु विस्तृत कार्य योजना तय कर समस्त सदस्यों में कार्य आवंटन किया जावे।
- समारोह में विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों के अतिरिक्त समस्त विद्यार्थी विद्यालय गणवेश में उपस्थित रहेंगे।
- समारोह हेतु उपलब्ध करवाई गई एवं जुटाई गई राशि का उपयोग समारोह के सफल आयोजन हेतु आवश्यक संसाधन जैसे - मुद्रण कार्य मंच साज-सज्जा, टैन्ट व्यवस्था, साउण्ड सिस्टम, वीडियो/फोटोग्राफी, बैठक व्यवस्था, जलपान तथा स्मृति चिन्ह इत्यादि हेतु किया जावे।
- समारोह का प्रारम्भ अनिवार्यतः राष्ट्रगान के साथ एवं समापन राष्ट्रगीत के साथ किया जावे।
- कार्यक्रम का आयोजन गरिमामय रहे, इस बात का पूर्णतया ध्यान रखा जावे।
- विद्यालय के सफल पूर्व छात्र-छात्रा सहित समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकों को समारोह में भाग लिये जाने हेतु आमंत्रित किया जावे एवं इस संबंध में विद्यार्थियों को भी उनके अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु मार्गदर्शन दिया जावे।
- समारोह में जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, मामाशाह, दानदाता, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर हेड, एसडीएमसी/एसएमसी के सदस्य विद्यालय के सफल पूर्व छात्र-छात्रा/ सफल उद्यमी/व्यवसायी एवं समस्त अभिभावक को अनिवार्यतः आमंत्रित किया जावे, जिनके साझा किये गये अनुभवों से बच्चे प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें तथा सभी का अभिलेख संधारित किया जावे तथा शाला दर्पण पोर्टल पर पूर्व विद्यार्थी सूचना प्रपत्र में अंकित करवाना सुनिश्चित करें जिससे कि राज्य व जिला पर यथा समय उपयोग किया जा सके।
- समारोह में विद्यालय के अधिकाधिक मामाशाह, दानदाता, नजदीकी या क्षेत्र में कार्य करने वाली औद्योगिक ईकाईया/कम्पनी/ एनजीओ की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
- पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन कार्यक्रम हेतु मंच पर ज्ञान सकल्प पोर्टल के प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री भी प्रदर्शित की जावे।
- समारोह में सम्मानित अतिथि, जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, मामाशाह, दानदाता, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर प्रमुख, एसडीएमसी/एसएमसी के सदस्य, विद्यालय के सफल पूर्व छात्र एवं समस्त अभिभावक को विद्यालय विकास में सहयोग हेतु प्रेरित किया जावे। इस हेतु ज्ञान सकल्प पोर्टल के बारे में सक्षिप्त जानकारी देकर विद्यालय विकास में इसका महत्व का प्रचार-प्रसार किया जावे।
- पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन में आयोजक विद्यालय के संस्था प्रधान अपने क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की डांचागत आवश्यकताओं का आकलन कर सूचीबद्ध कर आयोजन के दौरान उपस्थित समुदाय के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें जिससे उपस्थित दानदाता, मामाशाह, कम्पनियों के प्रतिनिधि विद्यालयों के विकास में अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित हो सकें।
- उक्त समारोह के आयोजन हेतु विद्यालय को आवंटित राशि का उपयोग अनिवार्यतः संबंधित एसडीएमसी/एसएमसी के माध्यम से समग्र शिक्षा के नियमानुसार ही किया जायेगा। पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन हेतु उपलब्ध राशि के रिकॉर्ड का संधारण वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह से अलग मद रखते हुए किया जाएगा।
- विद्यालय में आयोजित समारोह की रिपोर्ट आयोजन के अगले दिवस अपने कलस्टर सदस्य प्रभारी के माध्यम से 02-05 छवि चित्र (फोटोग्राफ) सहित ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- राज्य, जिला, ब्लॉक व सीआरसी कार्यालय से प्राप्त निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए आयोजन की निर्धारित सूचना की समस्त प्रविष्टियों आयोजन समाप्ति के पश्चात् अगले दिवस तक शाला दर्पण पोर्टल पर केवल आयोजक विद्यालय द्वारा उनके विद्यालय लॉगिन पर विद्यालय टैब उपलब्ध मॉड्यूल पर ऑनलाईन प्रविष्टि की जावे। गैर आयोजक विद्यालय द्वारा उक्त सूचना



क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन 2022-23/3387

दिनांक 21/07/22

नहीं भरी जानी है ताकि आयोजन की प्रामाणिक व सुसंगत सूचना ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर को प्राप्त हो सकें।

### ❖ अन्य निर्देश-

- आयोजक विद्यालय कार्यक्रम आयोजन के 02 दिवस में उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीआरसीएफ के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय जिला स्तर को प्रस्तुत किया जावे।
- आंबटित राशि में से यदि कोई बचत राशि हो तो शेष राशि का संधारण/जीतान की प्रक्रिया एसएनए व जिला/ब्लॉक/विद्यालय के जीआर बैलेंस सन्तुष्टि खाते के समन्वय जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए की जावे।
- उक्त समारोह के आयोजन संबंधी समस्त गतिविधियों का सम्पादन कोविड महामारी के परिप्रेष्य में राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना अनिवार्यतः पूर्ण करते हुए किया जाना है।
- जिस मद में राशि उपलब्ध कराई जा रही है वय उसी मद में किया जावे।
- राशि उपयोग योजना के दिशा-निर्देश, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार गाईड लाइन एवं लोक उमापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय विधियों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- कार्यक्रम आयोजन के 7 दिवस में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र सीबीईओ के माध्यम से सीडीईओ कार्यालय जिला स्तर को जीएफ एण्ड एआर के अनुसार निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत किया जावे। जिला स्तर से समेकित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जी.एफ. एण्ड एआर के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(डॉ० मोहन लाल यादव)

आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक,

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त रास्कूलशिप, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक संस्कृत शिक्षा (स्कूल शिक्षा) विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
7. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम एवं द्वितीय, रास्कूलशिप, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला, समस्त जिले।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि एवं भाशि, मुख्यालय समस्त जिले।
11. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त शिक्षा, समस्त जिले।
12. सीबीईओ एवं पदेन सीआरसीएफ, समस्त।
13. पीईईओ/यूसीईईओ/सीआरसीएफ समस्त।
14. संबंधित संस्था प्रधान।
15. रक्षित पत्रावली।

(मुरारी लाल शर्मा)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम

## अनुसूची-1

### Ex-students & Potential Donors Meet for Government School 2022-23 District wise No. of School and Amount (@ 1000/- per school)

S.No.	district_name	No. of Secondary/ Sr.Secondary School	Sanctioned Amount @ 1000/- per school	Amount (in Lakhs)
1	AJMER	525	525000	5.250
2	ALWAR	795	795000	7.950
3	BANSWARA	464	464000	4.640
4	BARAN	309	309000	3.090
5	BARMER	721	721000	7.210
6	BHARATPUR	555	555000	5.550
7	BHILWARA	578	578000	5.780
8	BIKANER	447	447000	4.470
9	BUNDI	275	275000	2.750
10	CHITTAURGARH	411	411000	4.110
11	CHURU	513	513000	5.130
12	DAUSA	385	385000	3.850
13	DHAULPUR	291	291000	2.910
14	DUNGARPUR	399	399000	3.990
15	GANGANAGAR	487	487000	4.870
16	HANUMANGARH	364	364000	3.640
17	JAIPUR	986	986000	9.860
18	JAISALMER	192	192000	1.920
19	JALOR	396	396000	3.960
20	JHALAWAR	328	328000	3.280
21	JHUNJHUNU	530	530000	5.300
22	JODHPUR	716	716000	7.160
23	KARALI	324	324000	3.240
24	KOTA	321	321000	3.210
25	NAGPUR	756	756000	7.560
26	PALI	501	501000	5.010
27	PRATAPGARH (RAJ.)	214	214000	2.140
28	RAJSAMAND	301	301000	3.010
29	SAWAI MADHOPUR	308	308000	3.080
30	SIKAR	640	640000	6.400
31	SIROHI	239	239000	2.390
32	TONK	338	338000	3.380
33	UDAIPUR	751	751000	7.510
	<b>RAJASTHAN</b>	<b>15360</b>	<b>15360000</b>	<b>153.600</b>

No. of school as per UDISE 2020-21 (Excluding zero enrollment School)



## अनुसूची-2

Ex-students & Potential Donors Meet 2022-23

### DEPARTMENT WISE NO. OF SCHOOLS

S.No.	District	Dept. Of Education	Sanskrit School	Tribal Welfare Department	Social Welfare Dept.	Grand Total
1	AJMER	507	17	1		525
2	ALWAR	775	17	2	1	795
3	BANSWARA	454	5	4	1	464
4	BARAN	297	3	7	2	309
5	BARMER	708	12		1	721
6	BHARATPUR	541	13		1	555
7	BHILWARA	565	11	1	1	578
8	BIKANER	436	11			447
9	BUNDI	266	8		1	275
10	CHITTAURGARH	401	10			411
11	CHURU	500	13			513
12	DAUSA	363	19	1	2	385
13	DHAULPUR	285	8			291
14	DUNGARPUR	382	11	4	2	399
15	GANGANAGAR	485	2			487
16	HANUMANGARH	358	6			364
17	JAIPUR	919	66	1		986
18	JAISALMER	189	3			192
19	JALOR	387	6	1	2	396
20	JHALAWAR	320	6	1	1	328
21	JHUNJHUNU	507	23			530
22	JODHPUR	698	17	1		716
23	KARALI	318	4		2	324
24	KOTA	314	5	2		321
25	NAGPUR	742	13		1	756
26	PALI	494	5	1	1	501
27	PRATAPGARH (RAJ.)	210	1	3		214
28	RAJSAMAND	297	4			301
29	SAWAI MADHOPUR	291	13	2	2	308
30	SIKAR	611	29			640
31	SIROHI	232	6	1		239
32	TONK	329	6	3		338
33	UDAIPUR	735	10	6		751
	<b>RAJASTHAN</b>	<b>14916</b>	<b>381</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>15360</b>

\* Zero Enrollment School is not in numbers